न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः उज्ज्वल राठौड़, I.A.S.

JCMS NO – 2016/00059

प्रकरण संख्या –120 / 2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा।

––प्रार्थी.

बनाम

1. **श्री पप्पू आत्मज कालूलाल ,**
2. **सुन्दर बाई पत्नि पप्पू हरिजन निवासीगण बुडनखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा**

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत आवंटन निरस्तीकरण

उपस्थित–

श्री बृजराज सिंह चौहान, राजकीय अभिभषक

निर्णय

दिनांक –10 / 11 / 2020

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, रागगंजमण्डी (भूमिधारी) ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि अप्रार्थीगण **श्री पप्पू आत्मज कालूलाल , सुन्दर बाई पत्नि पप्पू हरिजन निवासी बुडनखेडी को ग्राम बुड़नखेडी** की आराजी खसरा **नम्बर 823 / 380 रकबा 0.10 हे0 दिनांक 02.12.2010** को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की गयी थी । अप्रार्थीगण वर्तमान में राजस्व रेकार्ड अनुसार गैर खातेदार दर्ज है तथा मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का अप्रार्थीगण का कब्जा नहीं है । आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने से आवंटन शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन है तथा आवंटन की शर्तो का पालन नहीं करने से उक्त आवंटन नियम 14(4) के अन्तर्गत निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व आवंटन नियम 14(4) के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर आवंटन निरस्त फरमावें ।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थीगण को जारी नोटिस जर्ये चस्पांदगी के दौ गवाहों के सामने तामिलसुदा प्राप्त हुआ किन्तु आवंटी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने से राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।
3. राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थीगण को ग्राम **गोयन्दा** की खसरा नम्बर **823 / 380 रकबा 0.10 हे0** भूमि नोन कमाण्ड क्षैत्र में दिनांक **2.12.2010** को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन किया गया था । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो

जिला कलक्टर
कोटा

की पालना में उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं किया गया जो आवंटन शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन होने से अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त योग्य होने से निरस्त किया जावें ।

4. हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया । चूंकि अप्रार्थीगण को कई बार नोटिस जारी किये गये जो उनको चस्पांदगी से दौ गवाहों की मौजूदगी में तामिल हुए इसके उपरान्त भी अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं हुये तथा अप्रार्थीगण /आवंटियों को ग्राम **बुड़नखेडी** की खसरा **823/380 रकबा 0.10 हे0** भूमि नोन कमाण्ड क्षैत्र में **दिनांक 02.12.2010** को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन किया गया था । किन्तु आवंटी द्वारा भूमि पर कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया जाने से आवंटन निरस्त योग्य प्रतीत होता है ।

5. परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है । ग्राम **बुड़नखेड़ी** तहसील रामगंजमण्डी की भूमि खसरा **823/380 रकबा 0.10 हे0** का **दिनांक 02.12.2010 को अप्रार्थी गण श्री पप्पू आत्मज कालूलाल , सुन्दर बाई पत्नि पप्पू हरिजन निवासी बुडनखेडी** के हक में किया गया आवंटन आदेश निरस्त किया जाता है । तहसीलदार रामगंजमण्डी आवंटन निरस्तीकरण आदेश का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें एवं राजहित मे उक्त भूमि का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त कर पालना सुनिश्चित करें । निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार रामगंजमण्डी को भेजी जावे ।

6. निर्णय आज दिनांक 10.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलक्टर
कोटा